Sixteenth Loksabha

an>

Title: Announcement regarding extension of simultaneous interpretation service in five more languages.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, भारत के संविधान के आर्टिकल 120 (1) द्वारा प्रदत शक्तियों के तहत मुझे यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संविधान की आठवीं सूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अब सदस्यगण अपने विचार सभा में रख सकेंगे। अब तक हमारे लिए हमारे पास केवल 17 भाषाओं में साइमलटेनियस इंटरप्रेटेशन की सुविधा उपलब्ध थी। अब लोक सभा सचिवालय ने सभा में शेष पांच भाषाएं अर्थात डोगरी, कश्मीरी, कोकणी, संथाली और सिंधी में दिए जाने वाले भाषणों की साइमलटेनियस इंटरप्रेटेशन की व्यवस्था राज्य सभा के सहयोग से की है। बात केवल इतनी है कि हमने यह व्यवस्था तो की है लेकिन इन पांच भाषाओं के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा, तब हम राज्य सभा के सहयोग से यहां इंटरप्रेटर उपलब्ध करा देंगे। यह सूचना आपको देनी है।

…(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदया, दुनिया में 10 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, लेकिन अभी तक भोजपुरी के लिए कोई सहमति नहीं बनी है। यह बात वर्षों से चली आ रही है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैंने केवल उन भाषाओं के लिए कहा है।

…(व्यवधान)